

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 608 / 2015 ईफौ

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक 608 / 2015
संस्थापित दिनांक 19 / 08 / 2015
फाइलिंग नंबर 23030300722015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद , जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. द्वारिका प्रसाद गुर्जर पुत्र वृन्दावन सिंह गुर्जर उम्र 60 वर्ष
निवासी— ग्राम सिरसौदा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 304(ए) भा.दं.सं)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री बी0एस0 गुर्जर)

:- नि र्ण य -:-

(आज दिनांक 20.04.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 20.03.15 सुबह 07:00 बजे ग्राम सिरसौदा में अपने खेत पर उपेक्षा अथवा उतावलेपूर्ण तरीके से बिजली के नंगे तार लगाकर फरियादी दयाराम के पिता धनपाल की आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 304ए के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.03.15 को सुबह 07:00 बजे फरियादी दयाराम अपने घर पर थातो उसे सूचना मिली कि उसके पिता धनपाल को बिजली का करंट लग गया है तब उसने अन्य ग्रामीणों के साथ जाकर देखा था तो पाया था कि उसके पिता धनपाल का शव द्वारिकाप्रसाद के खेत के कोने पर औधे मुंह पड़ा हुआ था उनके दोनों पैर के घुटने करंट लगने से झुलस चुके थे एवं धोती भी झुलस गई थी। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में मौके पर देहाती नालसी लेखबद्ध कराई गई थी। तत्पश्चात् फरियादी द्वारा पुलिस थाना गोहद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्रमांक 82 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.03.15 को सुबह 07:00 बजे ग्राम सिरसौदा में अपने खेत पर उपेक्षा अथवा उतावलेपूर्ण तरीके से बिजली के नंगे तार लगाए, जिससे करंट लगकर फरियादी दयाराम के पिता धनपाल की आपराधिक मानववध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित हुई?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी दयाराम अ.सा.1, चेताराम अ.सा.2, डॉ० जी०आर० शाक्य अ.सा.3, एस०आई० जे०एस० यादव अ.सा.4, ए०एस०आई० कमलेश कुमार ओझा अ.सा.5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में रामनरेश ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी दयाराम अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 20.03.15 को सुबह 7 बजे की है। उसके पिता सुबह चारा लेने जा रहे थे। द्वारिका प्रसाद के खेत में चारों ओर बिजली का नंगा तार डला हुआ था। उसके पिता वहां से निकल रहे थे तो बिजली के तार में उलझने से करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। द्वारिका प्रसाद ने उक्त तार लापरवाही पूर्वक तरीके से लगा रखे थे। उसने पिता को करंट लगता देख कर चिल्लाना शुरू किया था तो द्वारिकाप्रसाद तार लेकर भाग गया था। मौके पर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने मौके पर उसकी रिपोर्ट लेख की थी जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र०पी० 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद पुलिस उसके पिता को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई थी। उसके बाद उन्होंने थाने पर जाकर रिपोर्ट की थी जो प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सफीना फॉर्म प्र०पी० 4 है एवं नक्शा मौका लाश पंचायतनामा प्र०पी० 5 है जिसके क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह अपने घर पर था उसे पिता धनपाल के करंट लगने की सूचना घर पर मिली थी। उसके मुहल्ले की कुछ लड़कियां खेत से सरसों काटकर ला रही थीं उन्होंने उसे घर पर आकर सूचना दी थी। उसे सूचना करीब 8 बजे मिली थी। वह घर पर था उसने अपने पिता को मौके पर पड़ा हुआ देखा था। करंट लगते हुए नहीं देखा था। उसने द्वारिका प्रसाद को अपने खेत से चारों तरफ नंगे तार लगाते हुए नहीं देखा था।

09. साक्षी चेताराम अ०सा० 2 ने भी फरियादी दयाराम अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारिका प्रसाद द्वारा खेत के चारों तरफ लापरवाहीपूर्ण तरीके से बिजली के नंगे तार लगाना एवं उन तारों से करंट लगकर धनपाल की मृत्यु हो जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

10. ए०एस०आई० कमलेश कुमार ओझा अ०सा० 5 ने मर्ग रिपोर्ट प्र०पी० 10 को प्रमाणित किया है। आरक्षक जी०आर० शाक्य अ०सा० 3 ने मृतक धनपाल की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 6 को प्रमाणित किया है एवं एस०आई० जे०एस० यादव अ०सा० 4 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी रामनरेश व०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि द्वारिका प्रसाद के खेत में बिजली के तार नहीं पड़े थे। उनके खेत में कोई विवाद नहीं हुआ था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी द्वारिका प्रसाद के कुएं के पास लट्टा लगा था, जिस पर बिजली

के तार थे और यह भी स्वीकार किया है कि उक्त तार खेत में से ही होकर जाते थे।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी दयाराम अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन सुबह 7 बजे उसके पिता चारा लेने जा रहे थे तो द्वारिका प्रसाद के खेत के चारों तरफ बिजली के नंगे तार डले हुए थे एवं उसके पिता की उन बिजली के तारों में उलझने से करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। द्वारिका प्रसाद ने लापरवाही पूर्वक तार लगा रखे थे। उसने पिता को करंट लगते देख चिल्लाना शुरू किया था तो द्वारिका प्रसाद अपने तार लेकर भाग गया था। इसप्रकार दयाराम अ०सा० 1 ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके पिता को जब करंट लगा था तो वह मौके पर उपस्थित था। पिता को करंट लगता देख वह चिल्लाया था तो आरोपी द्वारिका प्रसाद अपने तार लेकर भाग गया था उसने द्वारिका प्रसाद को तार ले जाते हुए देखा था परंतु यह बात उसके द्वारा प्र०पी० 1 की देहाती मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट में नहीं लिखाई गई है। दयाराम अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि पुलिस ने मौके पर प्र०पी० 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी इसप्रकार दयाराम अ०सा० 1 ने मौके पर प्र०पी० 1 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराना स्वीकार किया है परंतु प्र०पी० 1 की देहाती नालसी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि दयाराम ने अपने पिता को करंट लगते हुए देखा था एवं द्वारिका प्रसाद को खेत से तार निकालकर ले जाते हुए देखा था। यदि वास्तव में दयाराम अ०सा० 1 धनपाल की मृत्यु के समय मौके पर उपस्थित था एवं उसने अपने पिता मृतक धनपाल को करंट लगते हुए देखा तो इस तथ्य उल्लेख प्र०पी० 1 की देहाती नालसी में अवश्य होता। परंतु प्र०पी० 1 की देहाती नालसी में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं है। प्र०पी० 1 की देहाती नालसी के अनुसार फरियादी दयाराम को धनपाल के करंट लगने की सूचना घर पर मिली थी एवं जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने धनपाल का शव औंधे मुंह पड़ा होना देखा था। प्र०पी० 10 की मृत्यु रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि दयाराम ने अपने पिता के करंट लगते हुए देखा था। यद्यपि प्र०पी० 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में धनपाल की मृत्यु के वक्त चेताराम एवं दयाराम के मौके पर मौजूद होने का उल्लेख है परंतु यह बात प्र०पी० 1 की देहाती नालसी जो कि घटना के तुरंत पश्चात फरियादी द्वारा लेखबद्ध कराई गई है में नहीं है। इसप्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी दयाराम अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की देहाती नालसी से पुष्ट नहीं रहे हैं एवं प्रकरण में आज साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि दयाराम अ०सा० 1 द्वारा प्र०पी० 1 की देहाती नालसी लेखबद्ध कराने के पश्चात अपने कथनों में सुधार करते हुए पश्चातवर्ती प्रक्रम पर प्र०पी० 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त तथ्य वर्णित किए गए हैं।

14. दयाराम अ०सा० 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने अपने पिता को करंट लगना देखकर चिल्लाना शुरू किया था तो द्वारिका प्रसाद अपने तार लेकर भाग गया था परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने धनपाल के करंट लगने की सूचना घर पर मिली थी एवं उसने पिता को मौके पर पड़े हुए देखा था करंट लगते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार दयाराम अ०सा० 1 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी के कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान भी परस्पर विरोधाभासी रहे हैं उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने अपने पिता मृतक धनपाल को करंट लगते एवं द्वारिका प्रसाद को तार ले जाते हुए देखा था परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का यह कहना है कि उसने अपने पिता को करंट लगते हुए नहीं देखा था इसप्रकार दयाराम अ०सा० 1 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं दयाराम के कथनों से यही प्रकट होता है कि दयाराम अ०सा० 1 ने न तो अपने पिता को करंट लगते हुए देखा था और न ही उसने आरोपी द्वारिका प्रसाद को बिजली के तार ले जाते हुए देखा था।

15. चेताराम अ०सा० 2 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि उसके चाचा धनपाल की मृत्यु द्वारिका प्रसाद के खेत में लापरवाही से लगे बिजली के तारों से करंट लगने से हुई थी परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि जब उसे सूचना मिली थी तो वह गांव में था उसने तार लगे हुए नहीं देखे थे। उसने द्वारिका प्रसाद को तार हटाते हुए देखा था। परंतु इस तथ्य का उल्लेख कि द्वारिका प्रसाद को तार हटाते हुए देखा था प्र०पी० 1 की देहाती नालसी में नहीं है।

चेतराम अ०सा० 2 द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि जब उसे सूचना मिली थी उस समय वह गांव में था एवं जब वह मौके पर पहुंचा था तब तक पुलिस आ गई थी। चेतराम अ०सा० 2 के उक्त कथन से यह दर्शित है कि जब वह मौके पर पहुंचा था तब तक पुलिस आ गई थी। ऐसी स्थिति में चेतराम अ०सा० 2 का यह कथन कि उसने द्वारिका प्रसाद को तार हटाते हुए देखा था विश्वास योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि चेतराम अ०सा० 2 ने द्वारिका प्रसाद को बिजली के तार हटाते हुए देखा था तो भी इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि द्वारिका प्रसाद ने ही उपेक्षा अथवा उतावलेपन से उक्त तार लगाए थे। फरियादी दयाराम अ०सा० 1 एवं चेतराम अ०सा० 2 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने द्वारिका प्रसाद को खेतों पर तार लगाते हुए नहीं देखा था ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि द्वारिका प्रसाद ने ही विद्युत तार उपेक्षापूर्ण तरीके से ही खेतों पर डाले थे।

16. यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी ने अपने खेतों में उपेक्षा अथवा उतावलेपन से विद्युत तार डाले थे ऐसी स्थिति में समस्त शंकाओं से परे यह साबित करने का भार अभियोजन पर था कि वह अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य से यह साबित करता कि जिस खेत पर तार डाले थे वह आरोपी का था एवं केवल और केवल आरोपी ने ही उक्त खेत पर तार डाले थे तथा आरोपी के उक्त उपेक्षापूर्ण कृत्य से ही फरियादी दयाराम के पिता धनपाल की मृत्यु हुई थी। परंतु अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज खसरा खतौनी इत्यादि प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि जिस खेत पर विद्युत तार डाले थे वह खेत विशिष्ट रूप से आरोपी द्वारिका प्रसाद के स्वामित्व का था। अभियोजन द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिस खेत पर तार डाले थे उस खेत का सर्वे क्रमांक क्या था एवं उक्त खेत का स्वामी कौन था। उक्त संबंध में कोई खसरा खतौनी इत्यादि भी अभियोजन द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चेतराम अ०सा० 2 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि द्वारिका प्रसाद वृद्ध हैं एवं ग्वालियर में रहते हैं तथा द्वारिका प्रसाद की खेती उनके लड़के करते हैं। इसप्रकार चेतराम अ०सा० 2 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी द्वारिका प्रसाद ग्वालियर में रहता है एवं वह खेती नहीं करता है। उक्त तथ्य से भी यही प्रकट होता है कि द्वारिका प्रसाद ग्राम सिरसौदा में नहीं रहता है एवं खेती नहीं करता है अतः यह नहीं माना जा सकता है कि द्वारिका प्रसाद ने खेतों पर तार लगाए थे इसके अतिरिक्त फरियादी दयाराम अ०सा० 1 एवं चेतराम अ०सा० 2 द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उन्होंने आरोपी द्वारिका प्रसाद को खेतों पर तार लगाते हुए नहीं देखा था यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

17. जहां तक जे०एस० यादव अ०सा० 4 के कथन का प्रश्न है तो जे०एस० यादव अ०सा० 4 ने आरोपी द्वारिका से प्र०पी० 9 के जप्ती पंचनामे के अनुसार एल्युमिनियम तार जप्त करना बताया है परंतु मात्र तार जप्त किए जाने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारिका प्रसाद ने उपेक्षा अथवा उतावलेपूर्ण तरीके से खेत में विद्युत तार लगाए थे। डॉ० जी०आर० शाक्य अ०सा० 3 ने मृतक धनपाल की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 6 को प्रमाणित किया है एवं कमलेश कुमार ओझा अ०सा० 5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है। उक्त सभी साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अतः प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

18. जहां तक बचाव साक्षी रामनरेश ब०सा० 1 के कथन का प्रश्न है तो यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि द्वारिका प्रसाद के कुएं के पास लटटा लगा था जिस पर बिजली के तार आए थे एवं यह भी स्वीकार किया है कि उक्त तार खेत में से होकर जाते थे परंतु इससे भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारिका प्रसाद द्वारा उक्त तार लगाए गए थे।

19. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी दयाराम अ०सा० 1 एवं चेतराम अ०सा० 2 के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं फरियादी दयाराम अ०सा० 1 के कथन तात्त्विक बिंदुओं पर प्र०पी० 1 की देहाती

5 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 608/2015 ईफौ

नालसी से भी विरोधाभासी रहे हैं। शेष सभी साक्षी औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित होता हो कि जिस खेत पर तार डले थे उस खेत पर विशिष्ट रूप से स्वत्व एवं आधिपत्य केवल और केवल आरोपी का ही था एवं आरोपी ने ही उपेक्षा अथवा उतावलेपूर्ण तरीके से विद्युत तार लगाए थे जिनमें उलझकर मृतक धनपाल की मृत्यु हुई थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 20.03.15 को सुबह 7 बजे ग्राम सिरसौदा में अपने खेत पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से बिजली के नंगे तार लगाए जिससे करंट लगकर फरियादी दयाराम के पिता मृतक धनपाल की आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्यु कारित हुई। फलतः यह न्यायालय आरोपी द्वारा प्रसाद को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा.दं.सं. की धारा 304(ए) के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

23. प्रकरण में जप्तशुदा एल्युमिनियम तार का बंडल अपील अवधि पश्चात् राजसात किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 20.04.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित
किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)